प्रकरण संख्या 16/2020 श्रीमती टमु देवी बनाम शंकरलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.09.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया की खातेदारी की आराजी नंबर 913/2, 914/2, 915 व 916 कुल किता 4 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा भूमि ग्राम मोही में स्थित हैं, जिसमें जाने हेतु रास्ता प्रार्थीया विपक्षी की खातेदारी की आराजी नंबर 857 व 858 से चाहती है। प्रार्थीया के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थीया को आराजी नंबर 857 व 858 से 30 फिट चौड़ा रास्ता दिलाया जावे। प्रार्थीया नियमानुसार लगने वाला शुल्क अदा करने को तैयार है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 31.08.2020 से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 05.10.2020 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री दिग्विजय सिंह उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में विपक्षीगण के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी, जिससे अपीलान्ट द्वारा चाही गयी दाद का खण्डन नहीं हुआ है, इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने आधी—अधूरी मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि प्रार्थीया के खेत और सार्वजनिक रास्ते के मध्य विपक्षी संख्या 1 की आराजी नंबर 857 व 858 स्थित है, जो मुख्य मार्ग से 100 फिट दूरी पर सार्वजनिक रास्ता मौजूद है तथा प्रार्थीया के खेत में आने—जाने का सबसे सरल एवं सुगम रास्ता विपक्षी की आराजी नंबर 857 व 858 से होकर निकलता है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जाकर/प्रार्थीया द्वारा चाहा गया 30 फिट	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:44:36 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता उसे दिलाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत होना बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध दिनांक 03.03.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाकर प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 09.12.2019 के आधार पर अन्य आराजियात में से रास्ता उपलब्ध होना मानते हुए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि विपक्षीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही हो जाने से प्रार्थीया के कथनों का खण्डन नहीं हुआ है एवं उक्त मौका रिपोर्ट में भी स्वयं पटवारी हल्का ने अपीलान्ट की आराजी नंबर 913/2, 914/2, 915 व 916 पर किसी प्रकार का कोई रास्ता राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं होना माना है तथा मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे में जो रास्ता हरे रंग से दर्शा रखा है उसकी दूरी अपीलान्ट द्वारा चाहे गये रास्ते, जिसे काले रंग से दर्शा रखा है, से अधिक प्रतीत होती है। धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में न्यूनतम दूरी का सबसे सरल एवं सुगम रास्ता कीमतन दिये जाने का प्रावधान है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को हम प्रथम दृष्टया त्रुटि पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.08.2020 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पुनः नये सिरे से रास्ते बाबत् रिपोर्ट प्राप्त कर न्यूनतम दूरी के रास्ते बाबत् विवेचन कर पुनः निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.11.2021 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.10.25 11:44:36 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] चौहान)
प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर